रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 अगस्त, 2000/30 श्रावण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 21 अगस्त, 2000

संख्या 1-56/2000-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 16)

1567-राजपत्र/2000-21-8-2000—1,375. मूल्य : एक रुपया।

जो आज दिनांक 21 अगस्त, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2000 का विधेयक संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

धारा 10 का संशोधन ।

1994 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 10 की उप-धारा (3) में,--

(क) "सदस्य, भी" शब्दों और चिन्ह् के पश्चात् , किन्तु शब्दों "सदस्य होंगे" से पूर्व, "मताधिकार के साथ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) परन्तुक में "व्यक्तियों" शब्द के स्थान पर, "नामनिर्दिष्ट सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) में,--

(क) खण्ड (घ) में, "निर्वाचन अपराध" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अध्याय 17-क के अधीन निर्वाचन अपराध" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"(घघ) यदि उसने धारा 17-क के अधीन विहित से अधिक व्यय उपगत किया है या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तीस दिन के भीतर धारा 17-ख के अधीन लेखा जमा करने में असफल रहा है;" ; और

(ग) खण्ड (ङ) क पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :--

"(ढ) यदि उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित कोई मिथ्या घोषणा की है ; और

(ण) यदि उस के दो से अधिक जीवित संतान हैं :

परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निर्हरता के अधीन व्यक्ति को, जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख से या, ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित संतान हैं, तब तक लागू नहीं होगी, जब तक एक वर्ष की उक्त अवधि के पश्चात् उसके और संतान नहीं होती ।" ।

धारा 17-क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 17-क में,--

(क) शीर्षक में "अधिकतम मात्रा" शब्दों के पश्चात्, "की सीमा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) "अभिकर्ता" शब्द जहां कहीं आता है, के पश्चात्, "या किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकार, सम्पत्ति या जानकारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 17-ख का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 17-ख में, "अभिकर्ता ने" शब्दों के पश्चात् और "धारा 17-क" शब्द और अंकों से पूर्व "या किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकार, सम्मति या जानकारी द्वारा" शब्द और चिन्ह, अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 19 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 में उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु जहां अवधि का शेष भाग छह मास से कम है वहां ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा ।" ।

धारा 281 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 281 में, खण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:--

"(3) जब राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा ऐसा निवेदन किया गया हो, तो राज्यपाल उसे ऐसा कर्मचारीवृन्द उपलब्ध करवाएगा जैसा इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(4) निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण और सुधार के लिए तथा निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृन्द, उस अवधि के लिए जिस के दौरान इस प्रकार नियोजित किए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे ।" ।

धारा 281-क का अंत:स्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 281 के पश्चात्, नई धारा के रूप में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"281-क. परिसरों, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण.--- (1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि नगरपालिकाओं के सम्बध में,--

(क) मतदान केन्द्र के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों को रखने के लिए, उपयोग करने के प्रयोजन हेतु, किसी

परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सम्भाव्य है, या

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के प्रयोजन के लिए किसी यान, जलयान या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सम्भाव्य है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या पशु का लिखित आदेश द्वारा अधिग्रहण कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगी जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या पशु, जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता, ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्वक उपयोग में ला रहा है, इस उप-धारा के अधीन तब तक अधिगृहीत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त नहीं हो जाता ।

(2) अधिग्रहण, राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति का स्वामी या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति समझे गए व्यक्ति को, संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा, और उस व्यक्ति पर जिसे वह संबोधित है, ऐसे आदेश की तामील विहित रीति में की जाएगी ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जब कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की जाती है, तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिस के लिए ऐसी सम्पत्ति उस उप-धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है ।

(4) इस धारा में--

(क) "परिसर" से, कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है, और झोंपड़ी, शैड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत है;

(ख) "यान" से, ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो ।" ।

धारा 284-क का अंत:-स्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 284 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"284-क. याचिका के पक्षकार.--कोई याची, याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल होगा,--

(क) जहां याची, घोषणा का दावा करने के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचित अभ्यर्थियों का निर्वाचन शून्य है, आगे ऐसी घोषणा का

दावा करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, याची से भिन्न किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, और जहां आगे किसी घोषणा का दावा नहीं किया जाता है, सभी निर्वाचित अभ्यर्थी; और

(ख) कोई अन्य अभ्यर्थी जिस के विरुद्ध याचिका में किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन किए जाते हैं।"।

धारा 303 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 303 के खण्ड (क) में, "निर्वाचन क्षेत्रों" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आवंटन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

अध्याय 17-क का अंतः-स्थापन।

11. मूल अधिनियम के अध्याय 17 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 17-क

निर्वाचन अपराध

304-क. निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना.—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर सम्प्रवर्तित करता है। या सम्प्रवर्तित करने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

304-ख. निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध.—(1) किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति क लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि क दौरान किसी मतदान क्षेत्र में, कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उस में उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा या न उसे सम्बोधित करेगा; या

(ख) चलचित्र, टेलीवीजन या उसी प्रकार के अन्य यन्त्र के द्वारा कोई निर्वाचन सामग्री जनसाधारण को प्रदर्शित नहीं करेगा ; या

(ग) उसमें लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से कोई संगीत समारोह या कोई नाट्याभिनय अथवा कोई अन्य मनोरंजन या आमोद करके या उनको किए जाने का प्रबन्ध करने द्वारा लोगों को किसी निर्वाचन सामग्री का प्रचार नहीं करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में, पद "निर्वाचन सामग्री" से, किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर या प्रभाव डालने के लिए आशयित या प्रकल्पित कोई सामग्री अभिप्रेत है ।

304-ग. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव.—(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारोबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करता है या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करता है, वह कारावास से, जिस की अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) यह धारा राजनैतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है ।

(4) यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता है उस ने उप-धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस अधिकारी उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस अधिकारी उसे वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।

304-घ. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन.—(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिस के मुख्य पृष्ठ पर उस के मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को—

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करवाएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतिक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; और

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा या न मुद्रित करवाएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित—

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को; और

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिस में कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए---

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया हेतु जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रित है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ; और

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलत: प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकाड या पोस्टर अभिप्रेत है; किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इस क अन्तगत नहीं है ।

(4) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है वह कारावास से, जिस की अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

304-ङ मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.---(1) ऐसा प्रत्येक अधिकारी लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिस की अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

304-च. निर्वाचन में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे.---(1) कोई भी व्यक्ति, जो जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा ।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य,---

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का ; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति में असर डालने का प्रयास करेगा ।

(3) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

304-छ. मतदान केन्द्रों में या उन के निकट मत संयचना का प्रतिषेध.—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को, जिस को या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र में एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या निजी स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:—

(क) मतों के लिए संयचना; या
(ख) किसी निर्वाचक से उस के मत की याचना करना; या
(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना ; या
(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना; या
(ङ) निर्वाचन के सम्बन्ध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना या संकत प्रदर्शित करना ।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

304-ज. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति.—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिन को किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है,—

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या निजी स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उस के पड़ोस में किसी लोक स्थान या निजी स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृंखलता से कोई अन्य कार्य करेगा,

कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो ।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में जानबूझ कर सहायता देता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और उस पर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी ।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा उप-धारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा ।

304-झ. मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति.—(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घण्टों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी क विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्त्तव्यारूढ़ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिनसे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने तक निवारित हो जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

304-ञ. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति.—यदि कोई निर्वाचक जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा ।

304-ट. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबर्ग में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा जैसा इस अधिनियम की धारा 301 की उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

304-ठ. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंग.—(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी ।

(4) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी हैं और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं हाथ लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए विरुद्ध कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्त्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं ।

304-ड. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति.---यदि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

304-ढ. मतदान केन्द्र को या उसके समीप सशस्त्र होकर जाने का प्रतिषेध.---(1) कोई भी व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर परिशान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति जो मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर है से भिन्न, मतदान के दिन, मतदान केन्द्र के पड़ोस के भीतर किसी प्रकार के आयुध सहित, जैसा आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में यथापरिभाषित है, सशस्त्र होकर नहीं जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, उक्त अधिनियम में यथावर्णित आयुध उसके कब्जे में पाया जाता है, अधिहरण का दायी होगा और वहां ऐसे आयुध के सम्बन्ध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रति हृत की गई समझी जाएगी ।

(4) उप-धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

304-ण. मतदान केन्द्र में मतपत्रों को हटाना अपराध होगा.---(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपटपूर्वक बाहर ले जाता है या बाहर ले जाने का प्रयत्न करता है या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देता है या उसका दुष्प्रेरण करता है वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी ।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

(4) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

304-त. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध.––जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करता है वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण.––इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रिया कलाप है, अर्थात् :––

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मत के अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग से निवारित करना ;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रपीड़ित या अभित्रासित या धमकी देना या उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना ;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है ; और

(ङ) सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रिया-कलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया-कलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना ।

304-च.—मतदान के दिन कर्मचारियों को संदाय सहित अवकाश दिन प्रदान किया जाएगा.—(1) किसी कारबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित और नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को, निर्वाचन के दिन, अवकाश प्रदान किया जाएगा ।

(2) उप-धारा (1) के अनुसार दिए गए अवकाश के कारण, ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी में से कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आधार पर नियोजित है कि साधारणतया ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्राप्त नहीं करेगा, तो भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी जिसको वह प्राप्त करता, यदि उस दिन के लिए उसे अवकाश न दिया गया होता ।

(3) यदि कोई नियोजक उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) यह धारा उस निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन, के बारे में, खतरा या सारवान हानि कारित हो जिसमें कि वह लगा हुआ है ।

304-द. मतदान के दिन शराब न बेचना, न देना या न वितरित करना.—(1) कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खान-पान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में न बेचा, न दिया या न वितरित किया जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष ठहराया जाता है, वहां उसके कब्जे में पाये गये स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ अधिहरण के दायी होंगे और उनका निपटारा ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी विहित की जाए ।

304-ध. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां.—(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति—

(क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; अथवा

(ख) रिटर्निंग प्राधिकारी के अधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है या हटाता है; अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र द्वारा मत देने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; अथवा

(घ) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देता है या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा; अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालता है; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करता, लेता, खोलता या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करता है; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करता है या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जान-बूझकर सहायता देता है या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करता है, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा ।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति--

(क) यदि वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या निपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्त्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्त्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्त्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्त्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किये जाने से अन्यथा अभिरोपित है ।

(4) उप-धारा (2) के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 राज्य में 18 अक्तूबर को अधिनियमित किया गया था परन्तु अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों पर समय-समय पर ध्यान दिया गया है । नगरपालिका के वर्तमान निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि जनवरी, 2001 के दौरान समाप्त होने जा रही है और नगरपालिका निकायों के आगामी आम चुनाव पदाधिकारियों की अवधि के अवसान से पूर्व करवाए जाने अपेक्षित हैं । नगरपालिका निकायों के पिछले आम चुनावों के दौरान आई व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं :--

अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध के अनुसार, राज्य विधान सभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है किन्तु, विधान सभा सदस्य को नगरपालिकाओं के सदस्य होने के नाते, अब यह प्रस्तावित किया जाता है कि उन्हें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए ।

वर्तमानत: निर्वाचित अभ्यर्थी को निरर्हित करने का कोई उपबंध नहीं है या यदि वह निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करता है या दो से अधिक संतान होने का मिथ्या कथन करता है तो ऐसे अभ्यर्थी, अभ्यर्थी बने रहने या भविष्य में निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित होगा ।

जब भी धारा 13 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने या स्थान के रिक्त होने से पद खाली होता है तो ऐसी रिक्ति ऐसा घटित होने के छह मास के भीतर भरी जाती थी, किन्तु अब यह प्रस्तावित किया गया है कि जहां शेष अवधि छह मास से कम है वहां ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई उप-निर्वाचन नहीं होगा ।

अधिनियम में, नगरपालिकाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के संचालन के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था करने का कोई उपबंध नहीं है । अब नगरपालिका के निर्वाचन का निर्विघ्न रीति में संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को कमचारी-वृन्द की व्यवस्था करना प्रस्तावित किया गया है ।

निर्वाचन अपराध के बारे में उपबंध और यानों, भवनों तथा परिसरों आदि की अध्यपेक्षा; निर्वाचन के निर्विघ्न संचालन के लिए की जानी अपेक्षित है क्योंकि ऐसे उपबंध अधिनियम में विद्यमान नहीं हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति क लिए है ।

रूप दास कश्यप,
प्रभारी मंत्री ।

शिमला:
.....2000.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध विद्यमान तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 8 और 11 राज्य सरकार को निर्वाचन के लिए नियम बनाने की वह रीति का उपबंध, जिस में परिसर, यान इत्यादि अधिगृहित किए जाएंगे और मतदान के दिन किसी व्यक्ति के कब्जे में पाए गए अधिहृत किए गए स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इसी प्रकृति के अन्य पदार्थों के लिए, उपबंध करने के लिए, भी सशक्त करते हैं । ये प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप के हैं ।

Bill No. 16 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2000

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (12 *of* 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2000.

1994

Amendment of section 10.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (3),—

(*a*) after the words "be the members" but before the words "and the State Government", the words "with voting right" shall be inserted ; and

(*b*) in proviso, for the word "persons", the words "nominated members" shall be substituted.

Amendment of section 16.

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1), —

(*a*) in clause (*d*), for the words "election offence", the words "electoral offence under Chapter XVII-A of this Act or " shall be substituted;

(*b*) after clause (*d*), the following clause shall be added, namely:—

"(*dd*) if he has incurred more expenditure than prescribed under section 17-A or has failed to lodge account under section 17-B within thirty days of the declaration of the result of the election; or"; and

(*c*) after caluse (*m*), the following new clauses shall be added, namely:—

"(*n*) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder; and

(*o*) if he has more than two living children :

Provided that the disqualification under clause (*o*) shall not apply to a person who has more than two living children on the date of commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2000, or, as the case may be, within a period of one year of such commencement, unless he begets an additional child after the said period of one year.".

Amendment of section 17-A.

4. In section 17-A of the principal Act,—

(*a*) in the heading between the words "maximum" and "thereof", the word "limit" shall be inserted; and

(*b*) after the word "agent", wherever it occurs, the words and sign "or by any other person with his authority, consent or knowledge" may be inserted.

Amendment of section 17-B.

5. In section 17-B of the principal Act, between the word "agent" and "under", the words and sign "or by any other person with his authority, consent or knowledge" may be inserted.

Amendment of section 19.

6. In section 19 of the principal Act, after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namley:—

"Provided that where the remainder of the term is less than six months, it shall not be necessary to hold any bye-elections to fill-up such casual vacancy.".

Amendment of section 281.

7. In section 281 of the principal Act, after clause (2), the following clauses shall be added, namely :—

"(3) The Governor shall, when so requested by the State Election Commissioner, make available to him such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on him under this Act.

(4) The officer or staff so employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of election shall be deemed to be on deputation with the State Election Commission for the period during which they are so employed.".

Insertion of section 281-A.

8. After section 281 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namley :—

"**281-A. Requisitioning of premises, vehicles etc., for election purpose.**— (1) If it appears to the State Government that in relation to the municipalities,—

(*a*) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or

(*b*) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, the State Government, may by order in writing, requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning :

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected

with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section untill the completion of the poll at such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub- section.

(4) In this section—

(*a*) "premises" means any land, building or part of building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof, and

(*b*) "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise,".

Insertion of section 284-A.

9. After section 284 of principal Act, following new section shall be inserted, namely :—

"**284-A: Parties to the petition.—A petitioner shall join as respondent to his petition,—**

(*a*) where the petitioner, in addition to claiming declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates ; and

(*b*) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.

Amendment of section 303.

10. In section 303 of the principal Act, in clause (*a*), after the words "constituencies", the words "or the allotment of seats in such constituencies" shall be inserted.

Insertion of Chapter XVII-A.

11. After Chapter XVII of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely :—

"CHAPTER XVII-A

ELECTORAL OFFENCES

304-A. Promoting enmity between classes in connection with the election.—Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of india shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

304-B. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll.—(1) No person shall,—

(*a*) convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or

(*b*) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus; or

(*c*) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto; in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of poll for any election in that polling area.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Explanation.—In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.

304-C. Disturbances at election meetings.—(1) Any person who at a public meeting to which this section applies acts or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon constituency to elect a member or members and the date on which election is held.

(4) If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under sub-section (1), he may, if requested so to do by the Chairman of the meeting require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails to declare his name and address, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the police officer may arrest him without warrant.

304-D. Restrictions on the printing of pamphlets, posters etc.—(1) No person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof

(2) No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster —

(*a*) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate ; and

(*b*) unless within reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy of the document, —

(*i*) where it is printed in the Capital of the State, to the Chief Electoral Officer, and

(*ii*) in any other case, to the District Magistrate of the district it is printed.

(3) For the purposes of this section,—

(*a*) any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printed and the expression "printer" shall be construed accordingly; and

(*b*) "election pamphlet or poster" means any printed pamphlet, hand-bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election of a candidate or group of candidates or any placard or poster having reference to an election, but does not include any hand-bill, placard or poster merely announcing the date, time, place and other particulars of an election meeting or routine instructions to election agents or workers.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

304-E. Maintenance of secrecy of voting.—(1) Every Officer, Clerk, Agent or other person who perform, any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine or with both.

304-F. Officers etc. at elections not to act for candidates or to influence voting.—(1) No person, who is district election officer or a returning officer, or an assistant returning officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the returning officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election, shall in the conduct or the management of the election to any act (other than the giving

of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour,—

(*a*) to pursuade any person to give his vote at an election; or

(*b*) to dissuade any person from giving his vote in an election ; or

(*c*) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both.

(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.

304-G. Prohibition of canvassing in or near polling stations.—(1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following acts within the polling station or in any public or private place within a distance of one hundred metres of the polling station, namely:—

(*a*) canvassing for votes ; or

(*b*) soliciting the vote of any elector; or

(*c*) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or

(*d*) persuading any elector not to vote at the election ; or

(*e*) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(3) An offence punishable under this section shall be cognizable.

304-H. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.— (1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station,—

(*a*) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighbourhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing the human voice, such as a megaphone or a loud speaker, or

(*b*) shout, or otherwise act in a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood thereof, so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll, or so as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(2) Any person who contravenes, or wilfully aid or abets the contravention of, the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine, or with both.

(3) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person, and thereupon the police shall arrest him.

(4) Any police officer may take such steps, and use such force, as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of sub-section (1), and may seize any apparatus used for such contravention.

304-I. Penalty for misconduct at the polling station.—(1) Any person who during the hours fixed for the poll at any polling station misconduct, himself or fails to obey the lawful directions of the presiding officer may be removed from the polling station by the presiding officer or by any police officer on duty or by any person authorised in this behalf by such presiding officer.

(2) The powers conferred by sub-section (1) shall not be exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at that station.

(3) If any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the Presiding Officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.

304-J. Penalty for failure to observe procedure for voting.—If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuses to observe the procedure prescribed for voting, the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.

304-K. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyance at elections.—If any person is guilty of any such corrupt practices as specified in sub-section (6) of section 301 of this Act, at or in connection with an election, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine.

304-L. Breaches of official duty in connection with election.—If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(4) The persons to whom this section applies are the district election officers, returning officers, assistant returning officers, presiding officers, polling officers, and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidature or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act.

304-M. Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.—(1) If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

304-N. Prohibition of going armed to or near a polling station.—(1) No person, other than the returning officer, the presiding officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined
54 of 1959 in the Arms Act, 1959, of any kind within the neighbourhood of polling station.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

54 of 1959 (3) Notwithstanding anything contained in the Arms Act, 1959, where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the said Act found in his possession shall be liable to confiscation and the licence granted in relation to such arms shall be deemed to have been revoked under section 17 of that Act.

(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be congnizable.

304-O. Removal of ballot papers from polling station to be an offence.—(1) Any person who at any election unauthorisedly takes, or attempts to take, ballot paper out of a polling station or wilfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

(2) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under sub-section (1), such officer may, before such person leaves the polling station arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by the police officer :

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(3) Any ballot paper found upon the person arrested on search shall be handed over for safe custody to a police officer by the presiding officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in safe custody.

(4) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

304-P. **Offence of booth capturing.**—Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years, and with fine, and where such offence is committed by a person in the service of the Government, he shall be punishable with imprisonment for a term of which shall not be less than three years but which may extend to five years, and with fine.

Explanation.—For the purposes of this section "booth capturing" includes among other things, all or any of the following activities namely:—

(*a*) seizure of a polling station or a place fixed for the poll by a person or persons making polling authorities surrender the ballot papers or voting machines and doing of any other act which affects the orderly conduct of election ;

(*b*) taking possession of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and prevent others from free exercise of their right to vote ;

(*c*) coercing or intimidating or threatening directly or indirectly any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote ;

(*d*) seizure of a place for counting of votes by any person or persons, making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines and the doing of anything which affects the orderly counting of votes ; and

(*e*) doing by any person in the service of Government of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at any such activity in the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

304-Q. **Grant of paid holiday to employees on the day of poll.**—(1) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking of any other establishment and entitled to vote at election to the Municipalities shall, on the day of poll, be granted a holiday.

(2) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

(3) If an employer contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(4) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

304-R. Liquor not to be sold, given or distributed on Polling day.—(1) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, catering house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(3) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed off in such manner as may be prescribed.

304-S. Other offences and penalties therefor.—(1) A person shall be guilty of an electoral offence if at any election he—

(*a*) fraudulently defaces or fraudulently destroys any nomination paper ; or

(*b*) fraudulently defaces or fraudulently destroys or removes any list, notice or other document affixed by or under the authority of returning officer ; or

(*c*) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper or the official mark on any ballot paper of any declaration of identity or official envelop used in connection with voting by postal ballot ; or

(*d*) without due authority supplies any ballot paper to any person or receives any ballot paper from any person or is in possession of any ballot paper ; or

(*e*) fraudulently puts into any ballot box anything other than the ballot paper which he is authorised by law to put in ; or

(*f*) without due authority destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers then in use for purposes of the election ; or

(*g*) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or wilfully aids or abets the doing of any such acts.

(2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall—

(*a*) if he is a returning officer or an assistant returning officer or a presiding officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, be

punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and

(*b*) if there is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both; and

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or part of an election including the counting of votes or to be responsible after an election for the used ballot papers and other documents in connection with such election, but the expression "official duty" shall not include any duty imposed otherwise than by or under this Act.

(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Consequent upon the enactment of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 was enacted on 18th October, 1994. But practical difficulties in the implementation of certain provisions of the Act have been noticed from time to time. The term of the present elected office bearers of the Municipalities is going to expire during January, 2001 and the next general elections to the Municipal Bodies are required to be held before the expiry of the term of the office bearers. Keeping in view the practical difficulties faced during the last general elections of the Municipal Bodies, following amendments are required to be brought :—

As per existing provision of the Act, Members of State Legislative Assembly did not have the right to vote. But, being the MLAs member of the Municipalities, it has been now proposed that they should have the right to vote.

At present there was no provision to disqualify the elected candidate if, he/she does not lodge the account of expenditure of election or makes false statement, having more than two children such a candidate shall be disqualified for continuing as such or contesting election in future.

Whenever a vacancy occurs by the death, resignation, removal or vacation of seat, under the provisions of sub-section (3) of section 13, of any member, the vacancy shall be filled within six months of the occurrence of such vacancy but now it has been proposed that where the remainder of the term is less than six months no bye-elections to fill up such casual vacancy shall be held.

There is no provision in the Act to provide staff to the State Election Commission to conduct election of the Municipalities. Now it has been proposed to provide staff to the State Election Commission to conduct the election of the municipality in smooth manner.

Provisions regarding electoral offences and requisition of vehicles, buildings and premises etc., for the smooth conduct of election are required to be made as such provisions do not exist in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ROOP DASS KASHYAP,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The....., 2000.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill shall be implemented by the existing machinery and there shall be no additional expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 8 and 11 of the Bill empowers the State Government to make rules to provide for the manner in which the premises, vehicles etc. for election shall be requisitioned and also to provide for the disposal of the confiscated spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substance of a like nature found in possession of a man on the polling day. These delegations are essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।